

भारत सरकार के भाग के प्रमुख साधनों का है।

भारत सरकार के भाग के साधनों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:- ① कर संबंधी भाग के साधन (Sources of Tax Revenue)

② गैर कर संबंधी भाग के साधन (Main Sources of ^{Non} Tax Revenue)

① कर संबंधी भाग के साधनों को हम निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं:-

I:- आयकर (Income Tax):- यह एक प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्तियों पर संयुक्त हिंदू परिवारों तथा पंजीकृत व्यवसायियों की आय पर लगाया जाता है। आय कर के एक निश्चित सीमा के बाद ही आयकर (Income Tax) लगता है। आय कर के भाग राज्य सरकारों के बीच विभाजित कृदिया जाता है। इसके अतिरिक्त भाग राज्य सिफारिश के अनुसार भाग का 85 प्रतिशत भाग राज्यों के बीच विभाजित कर दिया जाता है।

II निगम कर:- यह भी प्रत्यक्ष कर है, जो देसी तथा विदेशी कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। इस कर से भारत सरकार को अधिक भाग की प्राप्ति होती है।

III आयात निर्यात शुल्क:- यह कर वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाता है। इस प्रकार यह एक परेश कर है, इस कर से भी भारत सरकार को अधिक भाग की प्राप्ति होती है।

IV संधीय उत्पादन शुल्क (Union Excise Duties):- इस कर से भी भारत सरकार को अधिक भाग की प्राप्ति होती है। भारत सरकार लगभग 70 वस्तुओं पर संधीय उत्पादन शुल्क लगाती है। यह एक अपत्य कर (Indirect Tax) है जो वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पादकों से वसूल किया जाता है। इस अपत्य कर से भी भारत सरकार को अधिक भाग की प्राप्ति होती है।

V मूल्यकर (Wealth Duties):- यह कर वित्त के एक अग्रणी प्रगतिकारी लक्ष्य में लगाया जाता है। यह एक प्रत्यक्ष कर है। वस्तु के इस कर की लगाने से संपत्ति के वितरण की विषमताओं को कम करने में मदद मिलती है। भारत में मूल्यकर या संपदा या जापदाद का एक रूप में लगाया जाता है।

पूर्णप्रतियोगिता की बाजार व्यवस्था

पूर्णप्रतियोगिता की बाजार में किन्हीं उद्देश्यों में किसी के प्रवेश तथा बाजार में प्रवेश करने पर किन्हीं भी तरह का निर्धारण नहीं होता है। इसमें कोई एक firm किसी भी स्थिति में प्रवेश कर सकता है। (ii) क्रेताओं तथा विक्रेताओं का सम्भावित प्रतिकार नहीं होता है। - पूर्णप्रतियोगिता बाजार के मुख्यतः क्रेता एवं विक्रेताओं के बीच किसी प्रकार का विशेष साहचर्य नहीं होता है। जिससे क्रेता सबसे कम मूल्य वाले विक्रेता के पक्ष में खरीदते हैं, तथा विक्रेता अधिक मूल्य वाले क्रेता के पक्ष में बिक्री को प्रयत्न करते हैं। अर्थात् किसी नए क्रेता के बाजार में पूर्णप्रतियोगिता की स्थिति रहने पर उस वस्तु का मूल्य खर्च एक समान रहता है। किन्तु वास्तविक जीवन में पूर्णप्रतियोगिता की स्थिति क्रेताओं को नहीं मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि पूर्णप्रतियोगिता एक कल्पना मात्र है। (So Perfect Competition is a myth) विदित है कि पूर्णप्रतियोगिता की बाजार में बलात्कृत धार्मिक को कोई नीति नहीं होती, प्रत्येक firm मूल्य गृहण करने वाली (Price taker) होती है, मूल्य निर्धारक, कर्तव्य (Price - Maker) नहीं होती है। प्रत्येक firm मूल्य को दिया हुआ मानकर उसके अनुसार वस्तु के उत्पादन की मात्रा निर्धारित करती है, अर्थात् प्रत्येक firm के मात्रा समावाज्य करने वाली ही होती है।

R. U. Machan
 S. College Sukhsena
 6/12/20
 शास्त्री - Ist
 12/9/20
 Brajesh Palhar
 Asst Prof - Eco.
~~12/9/20~~
~~12/9/20~~